

106



### न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला-रायसेन

PDR/नगराजी/रायसेन/2017/3592

करन सिंह पुत्र श्री नंद कुमार किरार  
निवासी - ग्राम मुड़िया खेडा तहसील  
गैरतगंज, जिला - रायसेन (म0प्र0)

-- आवेदक

विरुद्ध

माधोसिंह पुत्र श्री रामचरण किरार  
निवासी - ग्राम मुड़िया खेडा तहसील  
गैरतगंज, जिला - रायसेन (म0प्र0)

-- अनावेदक

श्री. कपिलेश कुमार बिबो कर्मि  
द्वारा आज दि. 29/9/17 को  
परतुत  
ब्लॉक अ. 29-9-17  
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

C-F-10-10-17



न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

*(Handwritten signatures and initials)*

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/3592 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी तथा अनावेदक की ओर से श्री विनोद श्रीवास्तव, अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है।</p> <p> नीउर</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	